संख्या- 17/85-परती-2015-30(परती)/2014

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कार्पोरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ, दिनांक मार्च, 2015**

विषयः- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-2/उत्तर प्रदेश/2014-15/आई0डब्लू0एम0पी0) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789-अनसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)-(के.90/रा.10-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्राशं रू0 15.90 करोड़ (आर0बी0आई0 के माह दिसम्बर, 2014 के मेमो न0-1500पी. एड0 दिनांक 31.12.2014 द्वारा राज्य समेकित निधि मे जमा) के सापेक्ष राज्यांश रू0 1.77 करोड कुल रू0 17.67 (सत्रह करोड़ सरसठ लाख मात्र) के सापेक्ष बजट प्राविधानित धनराशि रू0 7.35 करोड़ (रूपये सात करोड़ पैतीस लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश 01/85-परती-2015-30(परती)/2014, दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा प्रदान की गयी है। अवशेष धनराशि रू0 10.32 करोड़ (रूपये दस करोड बत्तीस लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित करते हुए स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी के प्रोजेक्ट फण्ड के सेविंग बैंक एकाउन्ट में जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) विभाग द्वारा खोले गये उक्त खातों के संचालन एवं रख-रखाव आदि में सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों का समुचित अनुपालन किया जाना होगा और लेखों का मिलान बैंक से समय-समय पर किया जायेगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे तथा एस0एल0एन0ए0 के सेविंग बैंक एकाउन्ट से परिधिगत जनपदों के कार्यालयों/अधिकारियों को धनराशि के संचरण के सम्बन्ध में सुस्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा, तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपभोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निदेर्शो के अनुसार किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) योजनान्तर्गत होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789-अनसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय

http://bhasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)-(के.90/रा.10-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम-09 (पार्ट-1) के स्तम्भ् 1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशा0 पत्र संख्या-बी-1-आर0ई0686/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

2. उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 29 मार्च 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 17(1)/85-परती-2015-30(परती)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप महानिरीक्षक वन, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11वा ब्लाक छठा तल, लोघी रोड, नई दिल्ली, 110003 को उनके पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-2/उत्तर प्रदेश/2014-15/आई0डब्लू0एम0पी0) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रमुख् सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेंटर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
8- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23,सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
10- अध्यक्ष एवं प्रशासक,रामगंगा कमाण्ड परियोजना,177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।
11- मुख्य वितीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
12- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कापरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
13- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- वित्त आय व्ययक अनुभाग 1/ वित्त आय व्ययक अनुभाग 3/ वित्त व्यय नियंण अनुभाग 1/3
15- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प0 शासन
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in